न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 42 / 2017 तारीख रजू 14.07.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. अमित पाटनी पुत्र श्री ताराचन्द पाटनी निवासी 3 / 63 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) मैसर्स अमित फार्मा दुकान नं0 31–32 दवा बाजार, बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाई माधोपुर
2. प्रेम अरोरा (भागीदार) मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसियट 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर राज0 302004 निवासी 4 / 265 जवाहर नगर, जयपुर राज0
3. विशाल अरोरा (भागीदार) मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसियट 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर राज0 302004 निवासी 4 / 265 जवाहर नगर, जयपुर राज0
4. अजय अरोरा (भागीदार) मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसियट 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर राज0 302004 निवासी 4 / 265 जवाहर नगर, जयपुर राज0
5. मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसियट 5 झा 5 जवाहर नगर जयपुर राज0 302004
6. नितेश एच ताला (डायरेक्टर) M/s Smart Laboratories Pvt. Ltd. 65-66 Prime Estate-2 Sarkhej –Bavla Road NR-Ujala Circle Sarkhej -Ahmedabad
7. Kaushik Kumar Patel S/O Tulsidas Patel (Director) M/s Havit Remedies Pvt. Ltd. Plot No. 3476, Phase -4 G.I.D.C., Chhatral-382729 Dist- Ghandhinagar Add. 3-55-1 Jaganiovas sarsav, Patan, Pimpal Gujrat, 384225
8. M/s Havit Remedies Pvt. Ltd. Plot No. 3476, Phase -4 G.I.D.C., Chhatral-382729 Dist-Ghandhinagar

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 10/4/23

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.09.2016 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स अमित फार्मा दुकान नं0 31–32 दवा बाजार, बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहॉ पर अमित पाटनी पुत्र श्री ताराचन्द पाटनी निवासी 3 / 63 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित था, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** 500 ग्राम वजनी लगभग 10 डिब्बे दुकान में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** 500 ग्राम के 04 डिब्बे वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 308/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** 500 ग्राम के 04 डिब्बों को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–1023** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अमित पाटनी पुत्र ताराचन्द पाटनी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहन कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मु.चि.एवं स्वा.अधि. सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/76 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 229/एफएसएसएल/कोटा/ एक्ट/2016/454 दिनांक 26.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** मिसब्राण्ड **Mis-Branded (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) Fss. Act 2006)** पाया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत् मैसर्स अमित फार्मा दवा बाजार स0मा0 को फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र, वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र एवं क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखने पर उसके द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र, वेट रजिस्ट्रेशन एवं खाद्य पदार्थ का खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स सी.एम. अरोरा एसोसियट जवाहर नगर जयपुर को खाद्य अनुज्ञापत्र/वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन, नोमिनी एवं फर्म

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

मालिक की सूचना हेतु पत्र लिखने पर फर्म द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, स्टॉक ट्रांसफर चालान, वेट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया। मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्री प्रा.लि. सारखेज अहमदाबाद को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र/वाणिज्य रजिस्ट्रेशन, नोमिनी एवं फर्म मालिक की जानकारी हेतु पत्र लिखने पर फर्म द्वारा क्रय बिल, वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र एवं खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत किया गया। मैसर्स हैविट रेमेडिज प्रा0लि0 गांधीनगर को खाद्य अनुज्ञापत्र/वाणिज्य रजिस्ट्रेशन, नोमिनी एवं फर्म मालिक की जानकारी हेतु पत्र लिखने पर मैसर्स हैविट रेमेडिज प्रा0लि0 गांधीनगर द्वारा खाद्य लाईसेंस, वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र, नोमिनेशन फार्म एवं नोमिनी का आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत किया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने मिसब्राण्ड **(Mis-Branded)** खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड **(Mis-Branded)** खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की का सेम्पल भरा गया था। हमारे उत्पाद में जांच में कोई मिलावट नहीं पाई गई केवल पेकिंग की जानकारी एवं नये नियमों की जानकारी के अभाव में मिसब्रांड पाई गई है। बहस के अन्त में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से **Glucose-D (Gluco Smart)** का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं मानक स्तर का माना गया है। उक्त **Glucose-D (Gluco Smart)** का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समस्त नियमों के अनुसार सही है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **Glucose-D (Gluco Smart)** ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है। अभियुक्तगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 24 माह के पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि से" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं विक्रेता मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 229/एफएसएसएल/कोटा/ एक्ट/2016/454 दिनांक 26.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Glucose-D (Gluco Smart)** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 24 माह के पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है, को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों (**नेहरू दासन बनाम फूड इंस्पेक्टर, मदुरई कोरपोरेशन, मदुरई–2010–1 एफ.ए.सी. 49, मद्रास उच्च न्यायालय , ए. राजा सिंह एवं अन्य बनाम द फूड इंस्पेक्टर, 2008(1) एफ.ए.सी. 172 , टी. प्रभू एण्ड**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

एनोदर बनाम द स्टेट 2007 (1) एफ.ए.सी. 314, मद्रास उच्च न्यायालय , हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम फूड इंस्पेक्टर, 2007 (1) एफ.ए.सी. 299, मद्रास उच्च न्यायालय , रामबाबू रस्तोगी बनाम राज्य 2012(1) एफ.ए.सी. 56, दिल्ली उच्च न्यायालय , ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, आदि) का भी हवाला दिया गया है जिनमें उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णयों/आदेशों को निरस्त किया गया है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मात्र शिकायत शब्द "**की तिथि**" से थी जोकि याचिकाकर्ता द्वारा लेवल पर जोडा गया था यहां तक कि और अन्यथा, लेवल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 229/एफएसएसएल/कोटा/ एक्ट/2016/454 दिनांक 26.12.2016 के अनुसार अभियुक्त संख्या 1 के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **Glucose-D (Gluco Smart)** मेरी राय में मिस ब्राण्ड नहीं पाया जाता है। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested